लिय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2021/465

प्रकरण संख्या 71/21

अनवान

1. श्री गोविन्दसिंह पिता श्री कालूसिंह जी राजपूत निवासी कूंथवास, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. श्री विशेष पुत्र रामेश्वर नाई नाबालिंग बविलायत माता मंजू बाई पत्नी रामेश्वर नाई निवासी कूंथवास हाल पता हिरणमगरी उदयपुर राज0।
2. सुश्री कुसुम पुत्री रामेश्वर नाई नाबालिंग बविलायत माता मंजू बाई पत्नी रामेश्वर नाई निवासी कूंथवास हाल पता हिरणमगरी उदयपुर राज0।
3. सुश्री उर्वशी पुत्री रामेष्वर नाई नाबालिंग बविलायत माता मंजू बाई पत्नी रामेश्वर नाई निवासी कूंथवास हाल पता हिरणमगरी उदयपुर राज0।
4. श्रीमती मंजु बाई पत्नी रामेश्वर नाई निवासी कुंथवास हाल पता हिरणमगरी उदयपुर राज0।
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जी भीण्डर, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

–: : निर्णय : :– दिनांक :–22.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कूंथवास पटवार हल्का कूंथवास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की आराजी नम्बर 895/1, 895/2 किता 2 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा में प्रार्थी 1/3 हिस्से का खातेदार कब्जेदार काश्तकार है। लेकिन राजस्व कर्मचारीयों की त्रुटि से प्रार्थी का नाम गलत रूप से विलोपित होकर विपक्षी संख्या 1 से 4 अंकन हो गया है। यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि के मूल खातेदार सर्व श्री मांगू, लोकेश, रामेश्वर पिता श्री ऊँकार नाई निवासी कूंथवास थे। श्री ... सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा प्रार्थी ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के सन् 1998 में खरीदा जिस... राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नामान्तरकरण संख्या 962 के जरिये हो ... काबिज कश्तकार ... कि लोकेश का 1/3 एवं श्री रामेशवर का 1/3 कुल 2/3 हिस्सा श्री दीपकसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी उदयपुर ने अलग अलग खरीदा जो दीपकसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया। दीपकसिंह ने अपना खरीदसुदा कुलीया 2/3 हिस्सा श्रीमती शांताकुंवर पत्नी श्री शम्भुसिंह राजपूत, श्रीमती कमला कुंवर पत्नी निर्भयसिंह राजपूत, श्रीमती गीता कुवंर पत्नी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:45 IST
Reason: SelfAttested

भंवरसिंह राजपूत एवं श्रीमती मंजू कुंवर पत्नी तेजसिंह राजपूत सभी निवासीयान राठो गुडा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर को विक्रय किया जो इन क्रेता के नाम पर दर्ज है।

2. यह की प्रार्थनाग्रस्त भूमि को बिना किसी वैध आधार के प्रार्थी के 1/3 हिस्से म प्रा नाम राजस्व रेकर्ड से हटा दिया और बिना किसी वैध आधार के विपक्षी संख्या 1 म नाम 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि म से विपक्षीगण 4 के नाम 1/3 हिस्से का अंकन हटाया जाकर प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा का अंकन का आदेश फरमावें।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया गया। प्रक विपक्षी संख्या 1 से 4 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया अतः विपक्षी संख्या 1 से 4 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में तहसी भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि

I. राजस्व ग्राम कूंथवास प.ह कूंथवास के नामा. संख्या 962 बिकाव से मांगु पिता उं नाई 1/3 के बजाय गोविन्दसिंह पिता कालूसिंह शक्तावत राजपूत 1/3 दर्ज हुआ शेष हिस्सा लोकेश रामेश्वर पिता उँकार नाई 2/3 बदस्तर रहा है। यह है कि न संख्या 970 से लोकेश पिता उँकार नाई 1/3 के बजाय दीपकसिंह पिता ते राजपूत निवासी उदयपुर 1/3 दर्ज हुआ है। शेष हिस्सा गोविन्दसिंह पिता कालु शक्तावत 1/3 एवं रामेश्वर पिता उँकार नाई 1/3 बदस्तुर रहा है।

II. यह है कि नामा. संख्या 971 बिकाव से रामेश्वर पिता उँकार नाई 1/3 से दीपक पिता तेजसिंह राजपूत निवासी उदयपुर 1/3 दर्ज हुआ है।

III. उक्त नामा. के पश्चात संवत् 2049–52 के खाता संख्या 174 मौजा कुथवास की दीपकसिंह पिता तेजसिंह राजपूत हिस्सा 2/3 एवं गोविन्दसिंह पिता कालुसिंह होनी चहिये थी। परन्तु सहवन से दीपकसिंह पिता तेजसिंह राजपूत 2/3 एवं रा पिता उँकार जाति नाई 1/3 दर्ज कर दिया गया है।

IV. यह है कि नामा. संख्या 1414 विरासत से रामेश्वर पिता उँकार जाति नाई हि 1/3 बजाय विशेष कुसुम, उर्वशी पिता रामेश्वर ... माता मंजुबाई, मंजुबाई रामेश्वर 1/3 दर्ज हुआ है।

V. यह है कि नामा. संख्या ... बिकाव से दीपकसिंह पिता तेजसिंह राजपूत हिस्सा के बजाय शांता कुंवर पत्नी शम्भुसिंह, कमला कुंवर पत्नी निर्भयसिंह, गीता कुंवर भंवरसिंह, मंजु कुंवर पत्नी तेजसिंह राजपूत निवासी राठोडो का गुडा 2/3 दर्ज स्वीकृति हुई है। जिससे संवत् 2069–72 एवं वर्तमान में खाते में गोविन्दसिंह के रामेश्वर पिता उँकार जाति नाई के वारिसानों का नाम सहवन से गलत दर्ज हो है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:45 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के कथनानुसार मौजा कुंथवास पटवार हल्का कुंथवास तह. भीण्डर की आराजी नम्बर 895/1 व 895/2 किता 2 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा में प्रार्थी 1/3 हिस्से का खातेदार, कब्जेदार, काश्तकार है। उक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में बिना किसी वैध आधार के प्रार्थी के 1/3 हिस्से से प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कर दिया है जिसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया कि उक्म्त प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में 1/3 हिस्सा प्रार्थी के नाम नामान्तरण संख्या 962 बिकाव से मांगु पिता ऊँकार नाई 1/3 के बजाय गोविन्दसिंह पिता कालूसिंह शक्तावत राजपूत दर्ज हुआ है। शेष 2/3 हिस्सा लोकेश, रामेश्वर पिता ऊँकार नाई 2/3 बदस्तर रहा है। यह कि नामांतरण संख्या 970, 971 बिकाव से लोकेश, रामेश्वर पिता ऊँकार नाई के नाम 2/3 हिस्सा दीपक पिता तेजसिंह राजपूत के नाम दर्ज हुआ है। उक्त नामन्तरण के पश्चात संवत् 2049/52 के खाता संख्या 174 मौजा कुंथवास की स्थिति दीपकसिंह पिता तेजसिंह राजपूत हिस्स 2/3 व गोविन्दसिंह पिता कालुसिंह 1/3 होनी चाहिए थी लेकिन सहवन से दीपक पिता तेजसिंह राजपूत 2/3 व रामेश्वर पिता ऊँकार जाति नाई 1/3 गलत दर्ज कर दिया गया। नामांतरण संख्या 1414 विरासत से रामेश्वर पिता ऊँकार नाई 1/3 बजाय विशेष, कुसुम, उर्वशी, पिता रामेश्वर ना.बा.ब.वि. माता मंजुबाई पत्नी रामेश्वर 1/3 दर्ज हुआ है। जिससे संवत् 2069–72 एवं वर्तमान में खाता में गोविन्दसिंह के बजाय रामेश्वर पिता ऊँकार जाति नाई के वारियों कानाम सहवन से गलत दर्ज हो गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि प्रार्थी का नाम नामांतरण की प्रक्रिया के दौरान सहवन से हटकर पूर्व खातेदार रामेश्वर पिता ऊँकार का नाम दर्ज हो गया जिससे रामेश्वर पिता ऊँकार के बाद उसके वारिसान के नाम हिस्सा दर्ज हो गया। तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व दस्तावेज के अध्ययन से स्पष्ट है प्रार्थी का नाम सहवन से हटकर पूर्व खातेदार का नाम दर्ज हो गया है जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कुंथवास पटवार हल्का कुंथवास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0 की आराजी नम्बर 895/1, 895/2 किता 2 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा में 1/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 से 4 क्रमशः विशेष, कुसुम, उर्वशी पिता रामेश्वर ना.बा.ब.वि माता मंजुबाई, मंजुबाई पत्नी रामेश्वर के बजाय गोविन्दसिंह पिता कालुसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:45 IST
Reason: SelfAttested

राजपूत के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को ...
जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 22.09.2022 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:45 IST
Reason: SelfAttested